

विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन हेतु वैठक की सूचना

11.11.2025

समस्त माता पिता संगम के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमय) अधिनियम 2016 की धारा 04 के और राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमय) नियम 2017 के नियम 3(2) 4(1) के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक निम्न विद्यालय में विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन किया जाना है। इस निर्देशानुसार स्थानीय विद्यालय में दिनांक 15.11.2025 शनिवार दोपहर 1:00 बजे सेंट्रल पॉल सी. सेंट्रल स्कूल वारां के सभा भवन में आयोजित होगी।

अतः सभी सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में समय पर उपस्थित होने का कष्ट करें।

विचारणीय बिन्दु:-

1. विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन करना
2. विद्यालय स्तरीय फीस समिति का कार्यकाल

प्रतिलिपि:- 1. विद्यालय नोटिस बोर्ड
2. माता-पिता अध्यापक संगम के सदस्यों को सूचना

अध्यक्ष

माता पिता अध्यापक संगम

विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन हेतु माता-पिता-अध्यापक संगम की बैठक की कार्यवाही :-

आज दिनांक 15.11.2025 शनिवार दोपहर 1.00 बजे विद्यालय प्रांगण, सेंट पॉल सी. जे. स्कूल बारां के सभा भवन में विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन हेतु माता-पिता-अध्यापक संगम की एक बैठक अध्यक्ष श्री फादर बिब्ली विन्सेन्ट की अध्यक्षता में हुई। अध्यक्ष महोदय ने यह बताया कि पुनर्गठन कार्यकारिणी की बैठक में विद्यालय स्तरीय फीस समिति की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम के अनुसार प्रधानाचार्य को विद्यालय स्तरीय फीस समिति के सचिव का कार्य करना व तथा अध्यक्ष का नाम पुनर्गठन कार्यकारिणी ने श्री फादर रोबिन जॉन को मनोनीत किया था तीन अध्यक्षों का नाम भी पुनर्गठन कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से मनोनीत किए गये।

अध्यक्ष महोदय ने सरकारी फीस अधिनियम के अनुसार विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन के बारे में सदस्यों के सदन में अवगत कराया।

प्रस्ताव :- बिन्दु नं. 1 विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन करना माता-पिता-अध्यापक संगम के सचिव श्री संजय सेमसन ने सदन को अवगत कराया कि राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियम अधिनियम 2016 की धारा 19 के तहत धारा 04 और राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियम) नियम 2017 के नियम 3(2) 4 (ग) के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक निजी विद्यालय में विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन होता है। सरकारी फीस अधिनियम के अनुसार विद्यालय स्तरीय फीस समिति के अध्यक्ष पद हेतु पुनर्गठन कार्यकारिणी का कोई एक सदस्य होगा अध्यक्ष पद के लिए पुनर्गठन कार्यकारिणी द्वारा श्री फादर रोबिन जॉन का नाम मनोनीत किया गया है तथा विद्यालय स्तरीय फीस समिति के सचिव पद पर अधिनियम के अनुसार विद्यालय का प्रधानाचार्य श्री फादर बिब्ली विन्सेन्ट को सचिव पद के लिए मनोनीत किया गया।

तथा सरकारी फीस अधिनियम के अनुसार लीन अध्यापक सदस्य होंगे सदस्यों के लिए प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा लीन अध्यापकों के नाम ① श्री बाबू के. बी. ② संजय सेमसन ③ सुश्री अम्बे नागर को मनोनित किये हैं। ये सभी अधिनियम के अनुसार ही मनोनीत किये गये। फीस अधिनियम के अनुसार शेष 5 सदस्य माता पिता होंगे फीस अधिनियम के अनुसार उनका चयन लॉटरी के द्वारा किया जाता है ऑन लाइन लॉटरी का चयन 10-11-2025 को किया गया। जिसके आधार पर निम्न अभिभावकों को ऑन लाइन चुना गया

- ① सपना दे
- ② श्री पवन चौधरी
- ③ श्री रिषभ जैन
- ④ श्री संजय कुमार गुप्ता
- ⑤ श्रीमती राजश्री

इस प्रकार माता-पिता-अध्यापक संगम द्वारा 5 माता-पिता सदस्यों का चयन लॉटरी द्वारा विद्यालय स्तरीय फीस समिति के सदस्यों के पद के लिए हुआ तथा विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन किया गया।

* * विद्यालय स्तरीय फीस समिति निम्न प्रकार होगी * *

क्र. सं.	नाम पदाधिकारी	पद	प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य	हस्ताक्षर
1.	फादर रोबिन जॉन	अध्यक्ष	प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य	
2.	फादर विक्की बिन्सेंट	सचिव	प्राधान्याचार्य	
3.	श्री संजय सेमसन	सदस्य	अध्यापक	
4.	श्री बाबू के. बी.	सदस्य	अध्यापक	
5.	सुश्री अम्बे नागर	सदस्य	अध्यापिका	
6.	श्रीमती सपना दे	सदस्य	अभिभावक	सपना
7.	श्री पवन चौधरी	सदस्य	अभिभावक	
8.	श्री रिषभ जैन	सदस्य	अभिभावक	
9.	श्री संजय कुमार गुप्ता	सदस्य	अभिभावक	
10.	श्रीमती राजश्री	सदस्य	अभिभावक	

इस प्रकार आज दिनांक 15-11-25 को विद्यालय स्तरीय फीस समिति गठन एक बाँझाठिक वर्ष 2026-27 के लिए किया गया।

विद्यालय स्तरीय जीस समिति की बैठक के लिए

"नोटिस"

दिनांक 17.11.25

सेन्ट पॉल सी. सेंट स्कूल बारन के विद्यालय स्तरीय जीस समिति के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय स्तरीय जीस समिति की बैठक दिनांक 22.11.25 को दोपहर 2.00 बजे सेन्ट पॉल सी. सेंट स्कूल बारन के सभा भवन में आयोजित की जावेगी उपर्युक्त कथित विषय के सन्दर्भ में राजस्थान विद्यालय (जीस का विनियम) अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम सं. 14) धारा 5(2) (घ) और राजस्थान विद्यालय (जीस का विनियम) नियम 2017 के नियम 7(1) के उपबन्धों के अनुसार विद्यालय के प्रबंध कार्यकारिणी के जीस का प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए और उस पर समुचित विनिश्चय लेने के लिए विद्यालय स्तरीय जीस समिति की एक बैठक आयोजित होगी।

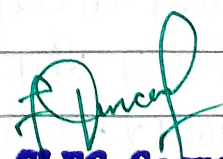
आप सभी सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थनीय है।

इस बैठक का एजेंडा निम्न प्रकार है -

1. आगामी सत्र 2026-27 के लिए विद्यार्थियों से लिया जाने वाला शिक्षण शुल्क निर्धारित करना

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

विद्यालय स्तरीय जीस समिति के सभी सदस्यगण


SLFC- Secretary
St. Paul's School
Kota Road, Baran (Raj.)

विद्यालय स्तरीय फीस समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण

दिनांक
22.11.2025

आज दिनांक 22.11.2025 शनिवार दोपहर 2.00 बजे सेंट पॉल सी. सै. स्कूल वारां के सभा भवन पर विद्यालय स्तरीय फीस समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की बैठक विधिवत रूप से आयोजित की गई। बैठक का संचालन एवं अध्यक्षता अध्यक्ष महोदय श्री फादर रोबिन जॉन द्वारा की गई। बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तथा बैठक के उद्देश्य की जानकारी दी गई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की पुष्टि की गई। बैठक में आवश्यक कोरम पूर्ण पाया गया, अतः बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

प्रस्ताव 1:- विद्यालय स्तरीय फीस समिति के सचिव श्री फादर विष्की विन्सेन्ट द्वारा सदन को अवगत कराया कि राजस्थान विद्यालय (फीस अधिनियम 2016, 2016 का अधिनियम सं. 14) की धारा 5(2) (घ) और राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियम), नियम 2017 के नियम 7(1) के उपबन्धों के अनुसार विद्यालय के प्रबंध कार्यकारी की फीस प्रस्ताव पर विचार विमर्श पर विचार विमर्श किया जाना है।

सचिव महोदय द्वारा बताया कि आज की विद्यालय स्तरीय फीस समिति बैठक का उद्देश्य आगामी सत्र 2026-27 के शिक्षण शुल्क का निर्धारण करना है।

शुल्क संग्रोहन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं -

- विद्यालय के शिक्षण एवं गैर-शिक्षण स्टाफ के वेतन में वार्षिक वृद्धि
- विद्यालय भवन के रखरखाव, मरम्मत तथा सुरक्षा हेतु खर्च
- फर्नीचर, लैब उपकरण, पुस्तकालय एवं खेल सामग्री की खरीद
- बिजली, पानी, स्वच्छता, परिवहन तथा अन्य अनिवार्य सेवाओं के बढ़ते व्यय
- विद्यार्थियों को दी जाने वाली शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार
- स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, इंटरनेट सुविधाओं, सी सी टीवी एवं तकनीकी संसाधनों का रखरखाव

सचिव महोदय ने यह भी बताया कि विद्यालय पुबंधन का उद्देश्य छात्रों को बेहतर शिक्षा, उन्नत सुविधाएँ तथा सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है, जिसके लिए शुल्क संरचना में उचित संशोधन आवश्यक है।

छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय के जीस में 15% प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा गया ताकि अभिभावकों पर अधिक बोझ न पड़े। इसके पश्चात अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव को चर्चा के लिए सदन के समक्ष रखा गया।

सदन का निर्णय:-

बीठक में उपस्थित विद्यालय स्तरीय जीस समिति के सभी सदस्यों ने बिन्दुवार गहन विचार विमर्श किया एवं गत वर्ष की जीस का अवलोकन किया गया, ऊई प्रश्न पूछे तथा अपनी राय प्रस्तुत की।

संस्था में होने वाले सभी खर्चों को देखते हुए एवं विद्यालय पुबंधकार्यकारिणी द्वारा लिए गए निर्णय को देखते हुए सभी सदस्यों की सर्वसहमति से प्रस्ताव को पारित करने का निर्णय लिया गया।

सचिव महोदय ने विद्यालय स्तरीय जीस समिति के सदस्यों के समक्ष जीस का व्योरा (प्रस्ताव) प्रस्तुत किया जो कि इस प्रकार से है।

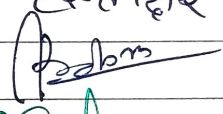
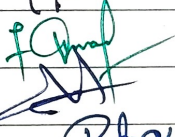
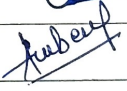
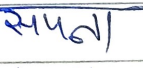
⇒ विद्यालय स्तरीय जीस समिति द्वारा 2026-27 की प्रस्तावित जीस

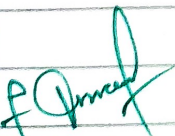
क्र.सं.	गत वर्ष की जीस	प्रस्तावित जीस	जीस वृद्धि प्रतिशत
NUR	35200	44000	25%
LRG	35200	38800	10.22%
HLG	35200	38800	10.22%
I	35200	38800	10.22%
II	29040	38800	33.61%
III	29040	38800	33.61%
IV	29040	34000	17%
V	29040	34000	17%

क्र.सं.	गतवर्ष की फीस	उस्तावित फीस	फीस बूटि प्रतिशत
VI	34120	39200	14.89 %
VII	34120	39200	14.89 %
VIII	34120	39200	14.89 %
IX	41360	47600	15 %
X	41360	47600	15 %
XI ART	52400	60200	14.89 %
XI Comm.	52400	60,200	14.89 %
XII ART	52400	60,200	14.89 %
XII Comm.	52400	60,200	14.89 %

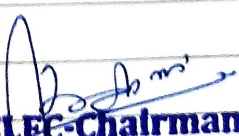
उपरोक्त कक्षाओं का शिक्षण शुल्क सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया गया है।

लैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुए:-

क्र. सं.	नाम पदाधिकारी	पद	हस्ताक्षर
1.	पादर रोबिन जॉन	अध्यक्ष	
2.	पादर विन्की विन्सेन्ट	सचिव	
3.	श्री संजय सेमसन	सदस्य	
4.	श्री बाबू के.वी	सदस्य	
5.	शुंशी अम्बे नागर	सदस्य	
6.	श्री पवन चौधरी	सदस्य	
7.	श्री रिषभ जैन	सदस्य	
8.	श्री संजय कुमार गुप्ता	सदस्य	
9.	जीमती सपना दे	सदस्य	
10.	जीमती राजेश्वरी	सदस्य	



SLFC- Secretary
St. Paul's Sr. Sec. School
New Civil Lines, Baran-325205 (Raj.)



SLFC- Chairman
St. Paul's Sr. Sec. School
New Civil Lines, Baran-325205 (Raj.)